Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380,
https://www.srjis.com/issues_data/224
Peer Reviewed, Refereed & Indexed Journal, Nov-Dec, 2023, Vol- 12/80
https://doi.org/10.5281/zenodo.10461082

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनजातीय समुदाय के बच्चों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रिन्स कुमार
शोधार्थी (पी-एच.डी.शिक्षाशास्त्र, शिक्षा विभाग)
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा महाराष्ट्र *-442001*

Paper Received On: 02 Nov2023
Peer Reviewed On: 28 Dec 2023
Published On: 01 Jan 2024

शोध-सारांश

प्रस्तुत आलेख में भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनजातीय समुदाय के बच्चों की शैक्षिक पृष्ठभूमि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय बहुल देश है। हालाँकि, स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद भी जनजातीय समूह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण आदि जैसे कई क्षेत्रों में विकास के चक्र से वंचित हैं। आज के प्रगतिशील भारत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक क्षेत्र में दयनीय रूप से पिछड़ा हुआ जनजातीय समाज मूलभूत संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। अनुसूचित जनजाति समुदाय आज भी अनेक प्रकार की असुविधा, सामाजिक तिरस्कार और आर्थिक वंचनाओं से पीड़ित है तथा विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ है। देश की प्रगति एवं व्यवस्था संचालन में प्रायः जनजातीय समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है जिसके कारण जनजातीय समाज का विकास व अस्तित्व दोनों ही हाशिए पर है। इस क्रम में आदिवासी समाज के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण इकाई है। राज्य और केंद्र सरकारों ने आदिवासी समूहों को शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । इनमें से कई कार्यक्रमों ने निर्धारित लक्ष्य का केवल 10 प्रतिशत ही हासिल किया है। इसलिए जनजातीय शिक्षा पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

बीज शब्द – शिक्षा, जनजातीय समुदाय, शैक्षिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-आर्थिक विकास

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रस्तावना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित शिक्षा की अनिवार्यता संबंधी तथ्य "14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा" महत्वपूर्ण कदम है। आजादी के बाद से भारत की सरकारों ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए माध्यमिक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के प्रावधान का विस्तार किया है। माध्यमिक विद्यालयों में उच्च सकल नामांकन दर का रवैया अधिक है, फिर भी यह लक्ष्य लागू होने के आधी सदी के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। हालाँकि इन सभी प्रयासों के बावजूद अधिकांश लोग शिक्षा से वंचित हैं। यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि आदिवासी समुदाय में साक्षरता का दर 50 प्रतिशत से भी कम है और बच्चों के एक बड़े वर्ग को प्राथमिक शिक्षा के स्वीकार्य स्तर के बिना ही जाना पड़ता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986)।

भारत की जनजातियों के लिए शिक्षा एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिस पर उनका विकास निर्भर करता है। शिक्षा से ज्ञान का प्रसार होता है। ज्ञान आंतरिक शक्ति देता है जो आदिवासियों को शोषण और गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत आवश्यक है। वर्तमान में शिक्षा मुख्य रूप से जनजातियों के शोषण और दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। जागरूकता के अभाव के कारण आदिवासी लोग नए आर्थिक अवसरों का लाभ नहीं उठा सके। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके तहत यह समुदाय को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए नवाचारों के बारे में सूचित करता है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग में शिक्षा के प्रति रुझान तभी बढ़ सकता है जब शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करते समय जनजाति समाज की पृष्ठभूमि को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से हो ताकि जनजाति समुदाय का बालक शिक्षा के साथ-साथ अपने परंपरागत मूल्यों को कायम रख सके क्योंकि विद्यालय के साथ उनका समायोजन न होने के कारण इन बच्चों में स्कूल जाने की रुचि कम होती है। आदिवासी बच्चे अपनी अलग भाषा व सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण स्कूली जीवन से जुड़ने में असहज महसूस करते हैं। आज यह भी जरूरी है कि इन क्षेत्रों में इन वंचित बच्चों के लिए लिखने पढ़ने और सीखने को एक आनंद प्रद अनुभव बनाया जाए और ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि विशेष रूप से दूरदराज के जनजाति क्षेत्रों के स्कूलों में दृश्य माध्यमों और दूरदर्शन फिल्म आदि के साथ ही दूरस्थ शिक्षा पद्धति की सहायता से भी उनको शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आदिवासी बच्चों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए हमें इन विचारों पर चिंतन करना अत्यंत जरूरी है (यादव,2013)।

आदिवासी शिक्षा: कोठारी कमीशन आयोग (1964-66) ने इस वर्ग की शिक्षा पर थोड़े विस्तार से सुझाव दिए थे। जिनमें ढेबर कमीशन के सुझावों के पालन के साथ-साथ कबीलों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करने और आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय एवं निःशुल्क आवासीय एवं निःशुल्क आश्रम स्कूल

खोलने पर विशेष बल दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1968 में तदनुकूल घोषणायें की गई थीं और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों और कबीलों के बच्चों की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू किया गया था। साथ ही आवासीय एवं निःशुल्क आश्रम स्कूलों की स्थापना की शुरुआत की गयी थी।

आदिवासी शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा के माध्यम की भी है, जिस भाषा में हम पढ़ना चाहते हैं वह हिंदी, अंग्रेजी या कोई क्षेत्रीय भाषा होती है जो उनकी अपनी भाषा से सर्वथा भिन्न होती है। ऐसे में शिक्षा प्राप्त करने में और चीजों को समझने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब उन्हें भाषा समझ में नहीं आती है तो उनका पढ़ाई से रुचि भी खत्म हो जाती है इसलिए जनजाति औपचारिक शिक्षा से दूर हो रहे है(मोहापात्रा, 2002)।

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि जनजातीय क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं होता है। दुबे,एस.सी.(शिक्षण की पाठ्यवस्तु आदिवासी जन समुदाय की आवश्यकता और अभिरुचि के अनुकूल नहीं होती हैं, इसलिए ऐसी शिक्षा उनके लिए अपने-आप में अप्रसांगिक हो जाती है (गुप्ता,एस. पी.,2009)।

आदिवासियों की शिक्षा तथा स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न आयोगों द्वारा प्रस्ताव लाए गए। पाठ्यक्रम निर्माण में आदिवासी पृष्ठभूमि एवं उनकी सांस्कृतिक विरासत को प्रारंभ से ही अस्वीकार किया जाता रहा। स्वतंत्रता पूर्व आदिवासी शिक्षा का अलग से कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शिक्षा का प्रावधान किया गया। समाज के सभी कमजोर वर्गों की शैक्षिक उन्नति का उत्तरदायित्व राज्य का है। अनुच्छेद-46 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति को विशेष रुप से प्रोत्साहन देगा तथा उनको किसी भी प्रकार के सामाजिक अन्याय से बचाएगा (सिंह ए.,2019)।

आदिवासी समाज में शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए, शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्गों तथा इस विशेष रूप से आदिम जातियों में शिक्षा का विकास करने के लिए तीव्र प्रयास किए जाने चाहिए (राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1968)।

आदिवासी समाज के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम: आदिवासी भारतीय समाज के सबसे वंचित और हाशिए के वर्गों में गिने जाते हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई कल्याणकारी और विकासात्मक उपाय शुरू किए गए हैं। इस संबंध में, आदिवासी उप-योजना दृष्टिकोण के लिए विशेष संदर्भ दिया जाना चाहिए जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना से मुख्य रणनीति के रूप में अस्तित्व में आया है।

मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के साथ-साथ आदिवासी उप-योजना दृष्टिकोण में प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा को न केवल संवैधानिक दायित्व के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है बल्कि आदिवासी समुदायों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण है। इनपुट के रूप में, विशेष रूप से बाहरी लोगों के साथ समान शर्तों पर व्यवहार करने के लिए जनजातियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए यह आवश्यक है। चूंकि प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी, शिक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं के समान महत्व के अनुसार आदिवासी उप-योजनाओं में शिक्षा के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा अपनाया गया था। जनजातीय वर्ग की शिक्षा के प्रति नीति में दूसरा महत्वपूर्ण विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के साथ आया था। 1986 में शिक्षा नीति (एनपीई) जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित निर्देश दिए गए :

1. आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की प्राथमिकता दी जाएगी।
2. प्रारंभिक चरणों में आदिवासी भाषा में पाठ्यक्रम विकसित करने और शिक्षण सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है।क्षेत्रीय भाषाओं में स्विचओवर की व्यवस्था।
3. होनहार अनुसूचित जनजाति के युवाओं को आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आश्रम स्कूल/आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे (आर्या, 2012)।

आदिवासी शिक्षा की समस्याएं:-

1. मुख्यधारायी समाज से अलग होना: जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या तथाकथित मुख्यधारायी समाज से अगल होना है। जैसा कि हम जानते है कि जनजातियां आज भी समाज से दूर जंगलों और पर्वतों में अधिक निवास करते हैं। जनजातियों की प्रमुख समस्या अपनी भूमि से अलग हो जाने की रही है। प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के ठेकेदार, महाजनों इत्यादि के प्रवेश से उनका शोषण प्रारंभ हुआ है।

2. अशिक्षा: जनजाति समुदाय की दूसरी समस्या अशिक्षा है। जनजाति समाज के लोग औपचारिक शिक्षा से काफी पिछड़े हुए हैं। आदिवासी समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाए खेतों में काम करवाना अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद यह समाज आज भी अशिक्षित है। ऐसा माना जाता है कि आज भी भारत में आदिवासी समुदाय में 41 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं।

3. बंधक मजदूर : ऋणग्रस्तता एवं जीविकोपार्जन हेतु ये बंधक मजदूर बनने को विवश हो जाते हैं। इनमें केवल एक व्यक्ति ही नहीं होता बल्कि उसका पूरा परिवार व समाज भी मानो बंधक बना लिया जाता है।

4. बेरोजगारी: जनजातियों की आजीविका के परंपरागत स्त्रोत सीमित होते है। जिससे इनमें बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है। रोजगार के अवसर उन्हें बेहद कम मिलते हैं।

5. निर्धनता : जनजातीय समुदायों में निर्धनता की स्थिति उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा करती है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग तथा श्रमिक आदि क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। आर्थिक रूप से यह लोग काफी पिछड़े हुए हैं।

6. ऋणग्रस्तता: जनजाति समाज में ऋणग्रस्तता की समस्या काफी गंभीर है। जनजातियाँ अपनी उपभोग की सीमित आवश्यकताओं के साथ प्रकृति पर ही निर्भर रहते हुए सरल जीवन जीवन-यापन करते हैं, लेकिन बाहरी सामाज के संपर्क में आने से इन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति में बदलाव होने लगे हैं। अच्छे वस्त्र, सौंदर्य, खान-पान आदि के कारण भी इन्हें धन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। अतः जनजातियों की ऋणग्रस्तता की समस्या बनी रहती है।

7. नशे की लत: जनजातियों में शराब, बीड़ी, तम्बाकू आदि का चलन अधिकांशत: पाया जाता है। जनजाति के लोगों में परंपरागत रूप से देशी शराब को प्रसाद के रूप में देवताओं को अर्पित करने व प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करने की परंपरा है। आदिवासियों में पुरूष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। नशे की लत किसी भी समाज के लिए हानिकारक है।

8. प्राकृतिक आपदाएं: प्राकृतिक आपदाएं भी जनजातियों की समस्याएं रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्थायी या अस्थायी रूप से इन्हें अपने मूल स्थान से दूर जाने के लिए विवश होना पड़ता है।

आदिवासी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक:-

1. भाषा का माध्यम- जनजातीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं में से एक भाषा की समस्या है। भाषा संबंधी समस्याएं आदिवासी बच्चों को विद्यालय परिसर में असहज बनाती है। अधिकांश जनजातीय भाषाएँ और बोलियाँ सबसे अल्पविकसित अवस्था में हैं और शायद ही कोई लिखित साहित्य है। अधिकांश राज्य आदिवासी और गैर-आदिवासी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में समान रूप से शिक्षा प्रदान नहीं करता है जो शिक्षा को दुर्बोध बनाता है और आदिवासी भावनाओं को आहत करता है।

2. आवास की अव्यवस्था- आदिवासी परिवार प्रायः गांवों में रहता है, जो बिखरे हुए हैं । इसके लिए स्कूलों में जाने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। जब तक उनके गांवों के बहुत नजदीक स्थित स्कूल और स्थानीय लोगों द्वारा अनुमोदित इसकी साइट नहीं होगी, तब तक परिणाम उत्साहजनक नहीं

होगा। आदिवासी लोगों के बीच शिक्षा के विकास में स्कूल प्रबंधन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय का अधिक दूरी पर स्थित होना आदिवासी बच्चों के लिए बाधाएँ पैदा करती हैं।

3. सामाजिक कारक- आदिवासियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु धन का अधिक आवंटन और स्कूल खोलना बहुत जरुरी है। आदिवासी समाज के सदस्यों के लिए अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए औपचारिक शिक्षा आवश्यक है। अत: उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि अंधविश्वास और पूर्वाग्रह को दूर कर सके। आदिवासियों में अभी भी यह व्यापक भावना है कि शिक्षा उनके लड़कों को विद्रोही और ढीठ बना देती है; उन्हें उनके समाज के बाकी हिस्सों से अलग कर देती है और लड़कियां आधुनिक हो जाती हैं या भटक जाती हैं। चूँकि उनके समाज के कुछ पढ़े-लिखे वर्ग स्वयं को अलग-थलग महसूस कराते हैं। कुछ आदिवासी समूह भ्रमवश अपने बीच शिक्षा के प्रसार का विरोध करते हैं। इसके अलावा, उनके कुछ अंधविश्वास और मिथक भी शिक्षा प्राप्त करने की राह में बाधक बनते हैं। कुछ आदिवासी समूहों का मानना है कि अगर वे अपने बच्चों को बाहरी लोगों द्वारा संचालित स्कूलों में भेजते हैं तो उनके देवता नाराज हो जाएंगे।

4. औपचारिक शिक्षा में रुचि की कमी- कई राज्यों में आदिवासी बच्चों को उन्हीं किताबों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जो राज्य के बाकी हिस्सों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गैर-आदिवासी बच्चों के पाठ्यक्रम होते हैं जाहिर है, ऐसी किताबों की सामग्री विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले आदिवासी बच्चों को शायद ही कभी आकर्षित करें।

5. संवेदनशील शिक्षकों का अभाव- आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की धीमी वृद्धि का एक प्रमुख कारण संवेदनशील शिक्षकों का अभाव है। आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियोजित अधिकांश शिक्षक आदिवासी जीवन शैली और मूल्य प्रणाली की बहुत कम सराहना करते हैं। वे आदिवासी लोगों से श्रेष्ठताग्रंथि के साथ संपर्क करते हैं, उन्हें 'बर्बर और असभ्य' मानते हैं। इसलिए शिक्षक अपने छात्रों के साथ उचित तालमेल स्थापित करने में विफल रहते हैं। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आदिवासी क्षेत्र के एक शिक्षक को आदिवासी जीवन और संस्कृति का गहन ज्ञान होना चाहिए। उसे आदिवासी भाषा बोलनी चाहिए। केवल इतना ही आदिवासी लोगों के मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका में हों। दरअसल, आदिवासी समुदाय से ही शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षकों और पढ़ाए जाने वाले शिक्षार्थी के बीच की खाई को कम किया जा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए उनकी शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों का एक अलग कैडर बनाया जाना चाहिए।

6. आदिवासी छात्रों के साथ अन्य छात्रों का व्यवहार- आदिवासी छात्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य छात्रों का भेदभावपूर्ण व्यवहार महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। पर्यावरण कारक भी उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है जो तथाकथित मुख्यधारा से आने वाले शिक्षार्थी नहीं समझ पाते हैं। प्रकृति के प्रति उनके अनुराग भाव को सामान्यतः भ्रामक रूप में समझा जाता है। छात्रों का एक बड़ा वर्ग आदिवासी छात्रों के साथ नकरात्मक भाव से पेश आते हैं। उनके नकारात्मक रवैये को हम मुख्य रूप से बड़े शहरों में स्थित विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा केंद्रों में लक्षित कर सकते हैं।

7. अनुपस्थिति की समस्या- आदिवासी क्षेत्रों में यह एक गंभीर समस्या है। आंकड़ों में छात्रों की एक बड़ी संख्या दिखाई देती है लेकिन वास्तविक उपस्थिति कम होती है और अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और भी कम होती है। ऐसी आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जो छात्रों के अध्ययन में पर्याप्त रुचि विकसित करने के लिए प्रभावीकारी हो।

8. माता-पिता की मनोवृत्ति/पारिवारिक वातावरण/पृष्ठभूमि- शैक्षिक विकास में किसी व्यक्ति के विकास के लिए परिवेश या वातावरण एक महत्वपूर्ण अंग है। अधिकांश जनजातीय माता-पिता कृषि और मजदूर हैं; उन्हें तथाकथित आधुनिक दुनिया और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनका सामाजिक और आर्थिक परिवेश सुदृढ़ न होने के कारण वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा में जाने से रोकते हैं; आर्थिक विपन्नता के कारण आदिवासी माता-पिता अपने बच्चों को पारिश्रमिक वाले रोजगार में लगाना पसंद करते हैं, जिससे परिवार की आय का स्रोत बन सके।

9. संचार समस्या- जनजातीय शिक्षा के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक संचार है। भौगोलिक स्थिति के कारण आदिवासी लोगों को आधुनिक भाषाओं को व्यक्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जनजातीय भाषाओं को समझना विशेष रूप से शिक्षकों के लिए आवश्यक है लेकिन प्रायः शिक्षक इस दायित्व से नदारद रहते हैं। इसलिए छात्रों को शिक्षकों के साथ अपने संदेह पर चर्चा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः उनकी शंका बनी रहती है और स्वत: ही आदिवासी छात्र अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाते हैं।

10. उचित निगरानी का अभाव- आदिवासी कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के बीच खराब समन्वय से उचित निगरानी में बाधा आती है।

11. जागरूकता की कमी- अधिकांश आदिवासियों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बेहतरी के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं अनुशंसाओं की पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है।

सुझाव:-

1. जनजातियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता अभियान चलाया जाना चाहिए।
2. आदिवासी छात्रों को पढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा में अद्यतन अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में स्थानीय शिक्षक और महिला शिक्षक भी नियुक्त किया जाना चाहिए।
4. विद्यार्थियों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति दिया जाना चाहिए।
5. आदिवासी क्षेत्र में परिवहन की समस्या व्याप्त है, इसे दूर करने के लिए आवासीय विद्यालय होने चाहिए।
6. जनजातियों के लिए सभी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हो, इसकी समुचित निगरानी की जाए।
7. अध्ययन एवं अध्यापन की विधि में ICT का प्रयोग अधिगम को सहज और सरल बनाएगा।

निष्कर्ष:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक प्रतिष्ठान में विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने पर जोर देता है। पिछले चार दशकों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का प्रसार काफी असमान रहा है। आदिवासियों को उचित शिक्षा प्रदान करके उनमे अज्ञानता और निरक्षरता को कम किया जाना चाहिए। आदिवासियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए तथा उन्हें बेहतर रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण के साथ बुनियादी और वयस्क शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आदिवासी छात्रों को छात्रावास की सुविधा का सर्वेक्षण कर उसमें सुधार किया जाना चाहिए। आदिवासी कल्याण विभाग आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए कार्यक्रम डिजाइन और लॉन्च कर सकता है। रोजगार और प्रशिक्षण निदेशक आदिवासी छात्रों को प्रभावी कैरियर मार्गदर्शन सेवा प्रदान कर सकते हैं ताकि उन्हें इन क्षमताओं,योग्यताओं और कैरियर के लिए योजना का आत्म मूल्यांकन करने में मदद मिल सके। आदिवासी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और आवासीय शिक्षा को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सभी आदिवासी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा ट्यूशन योजना को संशोधित किया जा सकता है। छात्रवृत्ति की दर को बार-बार संशोधित करना भी श्रेयस्कर होगा। प्री-मैट्रिक छात्रावासों को पूर्ण करने तथा उनकी आधारभूत सुविधाओं में सुधार तथा मेस प्रभारों में अतिरिक्त संशोधन को उच्च प्राथमिकता दी जाने की जरुरत है।

जनजातीय क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ व्यापक जागरूकता और साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना पूरे समाज व उनके परिवेश के लिए हितकर होगा।

सन्दर्भः-

मोहापात्रा,के.(2002).टू बेसिक इन इण्डिया:सोशल एक्शन,भुनेश्वर:द मॉडर्न बुक डिपो.

आर्या,एस.(2012).जनजातीय शिक्षा का एक आलोचनात्मक अध्ययन: महिलाओं के विशेष संदर्भ में, प्रशांत विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान.

https://www.researchgate.net/publication/276174073_A_critical_study_of_Tribal_Education_With_special_reference_to_women

यादव,कुमार एस.(2013).भारत में जनजातीय समुदाय के लिए शिक्षा और विकास कि नीतियाँ,राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय 17-बी,अरविंद मार्ग,नई दिल्ली.

जी.अनबुसेल्वी&पी.जे लीसन (2015).भारत में जनजातीय बच्चों की शिक्षा एक केस स्टडी, श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज, पोलाची.

https://www.researchgate.net/publication/313437127_Education_of_Tribal_Children_in_India_A_case_study

गुप्ता,एस.पी.(2015).भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं,प्रयागराज:शारदा पुस्तक भवन.

सिंह,ए.(2018).भारतीय संविधान एवं राज्यव्यस्था,इलाहाबाद:इलाहाबाद प्रकाशन.

अलंकृता गंगेले, (2019).भारत में जनजातीय शैक्षिक स्थिति: प्रचुर चुनौतियाँ और मुद्दे, डॉ हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश, भारत. https://www.jetir.org/papers/JETIR1901A24.pdf

द्विवेदी,ए.(2020).भारतीय जनजातीय शिक्षा का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन,महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा महाराष्ट्र. http://www.pubs.iscience.in/journal/index.php/ijss/article/view/988

MHRD.(1986). National Policy on Education, New Delhi: Ministry Of Human Resource Development, Government Of India.

MHRD.(1968). National Policy on Education, New Delhi: Ministry Of Human Resource Development, Government Of India.

http://dakshinkosaltoday.com/the-spread-and-current-status-of-indian-tribal-education/

https://www.kailasheducation.com/2019/07/janjati-ki-samasya.html

Singh an Ohri (1993), Status of Tribal Women in India,

Cite Your Article as:

Prince Kumar. (2024). Bhartiy Paripreksh Main Janjatiya Samudaya ki Bacchatonki Shaikshik Prushtbhumi ka vishleshanatamak Addhyan. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 12(80), 32–41. https://doi.org/10.5281/zenodo.10461082